भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1292

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत जियो टैग नियम में परिवर्तन

1292. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में यदि गारंटीकृत कामगार काम करना चाहते हैं तो उन्हें जियोटैग वाले स्थान से दिन में दो बार फोटो खींचनी पड़ती है और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) करना पड़ता है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यनिष्पादन के भाग के रूप में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नारियल, सुपारी वृक्षों से जुड़े कार्यों की भी भारी मांग है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य स्थल से ही फोटो खींचकर और इस प्रकार के कार्य को कार्य सूची में शामिल करके एनएमएमएस करने के लिए मनरेगा कार्य के अंतर्गत जियो टैग नियम में परिवर्तन संभव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (घ): वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) की शुरुआत की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए , दिनांक 1 जनवरी, 2023 से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से एक

दिन में श्रमिकों की जियो-टैग की गई , दो टाइम-स्टैम्प वाली फ़ोटो के साथ उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इससे भुगतान की प्रक्रिया में तेजी के अलावा योजना पर नागरिकों की निगरानी बढ़ती है। कार्यस्थल पर्यवेक्षक एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की जियो-टैग की गई तस्वीरों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं।

एनएमएमएस ऐप को उपस्थिति और पहली तस्वीर अपलोड करने के 4 घंटे बाद ही दूसरी तस्वीर लेने के लिए संशोधित किया गया है। सुबह की उपस्थिति के साथ पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर ऑफ़लाइन मोड में ली जा सकती है और डिवाइस के एक दिन के भीतर नेटवर्क क्षेत्रों में आने पर अपलोड की जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है , जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को मानवीय रूप से उपस्थिति अपलोड करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति तभी ली जा सकती है , जब उपस्थिति दर्ज करते समय मोबाइल का स्थान, उक्त कार्य के लिए जियो मनरेगा के अंतर्गत चरण-I में दर्ज कार्यस्थल के जियो निर्देशांक से 10 मीटर की दूरी के भीतर हो।
